न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 340 सन 2022

अनवान :–

1. श्रीराम पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
3. कृष्ण पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
4. मनफुल पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
5. बजरंग सिह पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
7. विमलादेवी पत्नी अमरसिह जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 179/168 की कुल 3.4790हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 52/48 की कुल 6.7670हैक्ट भूमि वादी संख्या 2 व खाता संख्या 17/18 की कुल 6.7670हैक्ट भूमि वादी सख्या 3 व खाता संख्या 98/84 की कुल 7.3250हैक्ट भूमि व वादी संख्या 4 के नाम व खाता संख्या 2/2 की कुल 6.7670हैक्ट भूमि वादी सख्या 5 ता 7 के नाम से दर्ज है।

वादीगण की उक्त भूमि में से गांव ललानिया से दक्षिण दिशा में गावं रातुसर को जाने वाला रास्ता खसरा न0 222 में 2 गठठा रास्ता स्वीकृत है लेकिन वर्तमान में उक्त रास्ता खसरा संख्या 200/1 ,200/2 ,200/3 ,200/4 ,200/5 के मिन पूर्व के स्थान पर मिन पश्चिम में चालू है।

रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 179/168 की कुल 3.4790हैक्ट जो वादी के नाम दर्ज है जिसके खसरा संख्या 200/1 के मिन दक्षिण पूर्व में रास्ता चालू है तथा खाता संख्या 52/48 की कुल 6.7670है जो वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है में से 200/2 के मिन पूर्व में रास्ता चालू है व खाता संख्या 17/18 की कुल 6.7670हैक्ट जो वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है के खसरा संख्या 200/4 के मिन पूर्व में रास्ता चालू है व खाता संख्या 99/84 की कुल 7.3250हैक्ट जो वादी संख्या 4 के नाम दर्ज है के खसरा सख्या 200/5 के मिन पूर्व में रास्ता चालू है व खाता संख्या 2/2 की 6.7670है जो वादी संख्या 5 ता 7 के नाम दर्ज है के खसरा सख्या 200/3 में पूर्व में रास्ता चालू है।

गावं ललानिया से चलकर रातुसर जाने वाला रास्ता जो खसरा न0 222 में 2 गठठा चौडा स्वीकृत है वह वादीगण के खसरा संख्या 200/1 से 200/5 के मिन पश्चिम में स्थान पर वादीगण की भूमि के खसरा संख्या 200/1 से 2005 के मिन पूर्व में चल रहा है जो वादीगण की आपसी सहमति से चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में यह रास्ता पश्चिम में दर्ज चला आ रहा है वादीगण वर्तमान में चल रहे रास्ता को सही दिशा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहत है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण की भूमि में से ललानिया से रातुसर जाने वाला रास्ता वर्तमान में वादीगण की भूमि के पूर्व में चल रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में पश्चित में दर्ज है इसलिये रास्ता जो वर्तमान में चल रहा है उसी

अधिकारी

के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण की खातेदारी भूमि में ललानियाउ से रातुसर जाने वाला रास्ता पश्चिम दिशा में दर्ज है जबकि वर्ततान में यह पूर्व दिशा में चल रहा है जिसके सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है अतः वर्तमान में चल रहा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में सही दिशा का अंकन किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण की भूमि में से ललानिया से रातुसर जाने वाला रास्ता चालू है जो वादीगण की भूमि के पूर्व दिशा में वादीगण की भूमि की सीव पर चल रहा है चालू रास्ता के सम्बध में किसी प्रकार का विवाद नही है परन्तु ललानिया से रातुसर को जाने वाला रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में चालू रास्ता जो पूर्व दिशा में चल रहा है के स्थान पर पश्चिम दिशा का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वादीगण की भूमि दो टुकडो में विभक्त हो जाती है वादीगण वर्तमान में पूर्व दिशा में चल रहे रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाना चाहते है राजस्व रिकार्ड में चालू रास्ता का सही तौर से अंकन होने से किसी भी काश्तकार एव आमजन का हक प्रभावित नही होता है बल्की सुविधा होती है क्योकि मौका के अनुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो जावेगा अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वर्तमान में चालू रास्ता की दिशा पश्चिम के स्थान पर पूर्व राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एव वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 179/168 की कुल 3.4790हैक्‍ भूमि में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 52/48 की कुल 6.7670हैक्‍ भूमि वादी संख्या 2 व खाता संख्या 17/18 की कुल 6.7670हैक्‍ भूमि वादी सख्या 3 व खाता संख्या 98/84 की कुल 7.3250हैक्‍ भूमि व वादी संख्या 4 के नाम व खाता संख्या 2/2 की कुल 6.7670हैक्‍ भूमि वादी सख्या 5 ता 7 के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वादीगण के नाम वाद भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीगण की भूमि में से 200/1 से 200/5 के मिन पश्चिम में 2-2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण की भूमि में से स्वीकृत ललानिया से रातुसर को जाने वाला दक्षिण व पूर्व की दिशा में चालू है राजस्व रिकार्ड में चालू रास्ता की दिशा संशोधन करवाना चाहते है।

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम ललानिया से रातुसर का रास्ता का आवागमन ग्राम ललानिया की आबादी की दक्षीणी दिशा से चालू है जो खसरा संख्या 223/5 की पूर्व मेड पर नही होकर खसरा संख्या 200/5 की मेड पूर्वी दिशा के पास पास से उतर से दक्षिण दिशा में चल रहा है तथा खसरा संख्या 223/5 व 200/5 एक खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे रास्ता का आवागमन खसरा संख्या 200/5 की पूर्वी मेड के पास पास ही उपयोग में लिया जा रहा है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा के अनुसार ग्राम ललानिया से रातुसर को जाने वाला रास्ता वादीगण की खातेदारी भूमि के दक्षिण में पूर्वी किनारे पर चल रहा है या उपयोग में लिया जा रहा है किन्तु राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में रास्ता पश्चिम दिशा में दर्ज है वादीगण की भूमि नजरी नक्शा के अनुसार खसरा न0 223 व 200 में दर्ज है जिनके मध्य से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि रास्ता खसरा संख्या 200/1 से 200/5 की दक्षिण में पूर्वी दिशा में चल रहा है जो पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

वर्तमान में चल रहा रास्ता या उपयोग में लिया जा रहा रास्ता वादीगण की भूमि खसरा संख्या 200/1 से 200/5 की दक्षिण पूर्व में चलरहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में पश्चिम में दर्ज है वादीगण रास्ता की दिशा राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहते है जो न्यायोचित है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतो एव पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि गांव ललानिया से चलकर रातुसर जाने वाला रास्ता जो खसरा संख्या 222 में 2 गटटा चौडा स्वीकृत है जो गांव ललानिया में वादीगण की भूमि में से होकर प्रवेश करता है वादीगण की भूमि खसरा संख्या 200/1 ,200/2 ,200/3 ,200/4 ,200/5 के मिन पश्चिम में 2–2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत/दर्ज है के स्थान पर वादी संख्या के खसरा संख्या 200/1 के मिन दक्षिण व पूर्व में व वादी संख्या 2 के खसरा संख्या 200/2 की मिन पूर्व में वादी संख्या 3 के खसरा संख्या 200/4 के मिन पूर्व व वादी संख्या 4 के खसरा संख्या 200/5 के मिन पूर्व में वादीगण संख्या 5 ता 7 के खसरा संख्या 200/3 मिन पूर्व में 3–3 गटठा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है अर्थात खसरा संख्या 200/1 से 200/5 के मिन पश्चिम में 2–2 गठठा के स्थान पर दक्षिण पूर्व में उक्तानुसार दो–दो गठठा रास्ता स्वीकार किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. श्रीराम पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
2 देवीलाल पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
3 कृष्ण पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
4 मनफुल पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
5 बजरंग सिह पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
6 राजेन्द्र पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
7 विमलादेवी पत्नी अमरसिह जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 340 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि गांव ललानिया से चलकर रातुसर जाने वाला रास्ता जो खसरा संख्या 222 में 2 गटटा चौडा स्वीकृत है जो गांव ललानिया में वादीगण की भूमि में से होकर प्रवेश करता है वादीगण की भूमि खसरा संख्या 200/1 ,200/2 ,200/3 ,200/4 ,200/5 के मिन पश्चिम में 2–2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत/दर्ज है के स्थान पर वादी संख्या के खसरा संख्या 200/1 के मिन दक्षिण व पूर्व में व वादी संख्या 2 के खसरा संख्या 200/2 की मिन पूर्व में वादी संख्या 3 के खसरा संख्या 200/4 के मिन पूर्व व वादी संख्या 4 के खसरा संख्या 200/5 के मिन पूर्व में वादीगण संख्या 5 ता 7 के खसरा संख्या 200/3 मिन पूर्व में 2–2 गटठा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है अर्थात खसरा संख्या 200/1 से 200/5 के मिन पश्चिम में 2–2 गठठा के स्थान पर दक्षिण पूर्व में उक्तानुसार दो–दो गठठा रास्ता स्वीकार किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर